



**-:प्रेस नोट:-**

दिनांक- 06.12.2024

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ आपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 04 मामलों में कुल 02 अभियुक्तों को 7000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

**विवरण-** पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 04 मामलों में कुल 02 अभियुक्तों को 7000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

### **अभियोग-**

1. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 159/04 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त रामहित पुत्र श्रीकृष्ण विश्वकर्मा निवासी शिव थाना बिसण्डा जनपद बांदा को **2000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
2. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 04/03 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त रामहित पुत्र श्रीकृष्ण विश्वकर्मा निवासी शिव थाना बिसण्डा जनपद बांदा को **1000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
3. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 147/04 धारा 337/338 भादवि के अभियुक्त रामहित पुत्र श्रीकृष्ण विश्वकर्मा निवासी शिव थाना बिसण्डा जनपद बांदा को **1000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
4. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 402/22 धारा 504/506 भादवि के अभियुक्त द्वारिका पुत्र विशाल कुशवाहा निवासी मरौली थाना बिसण्डा जनपद बांदा को **3000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।